बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./43/एसएलबीसी/जून 2017/429 13.12.2017

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2017 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2017 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 20.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(पंकज श्रीवास्तव)
उप महाप्रबन्धक

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2017 तिमाही की दिनांक 20.09.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2017 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 20.09.2017 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्रीमती पपिया सेन गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (के.वी.आई.बी.); श्री पवन कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव (कृषि); श्री अमृत त्रिपाठी, आई.ए.एस., विशेष सचिव (संस्थागत वित्त), श्री अविनाश कृष्ण सिंह, आई.ए.एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एसं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री मनमॉय मुखर्जी, महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री बी. एस. ढ़ाका, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

1. प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप स्कीम - "उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, 2017" का क्रियांवयन इस तिमाही में प्रारम्भ हुआ तथा पहले चरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है। ऋण मोचन योजना बैंको के लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। जहाँ एक ओर बैंको के एन.पी.ए. पर नियंत्रण हुआ है वही दूसरी ओर Outstanding Direct Agriculture, Priority Sector & Weaker Section portfolio में सीधी गिरावट देखने को मिली है। हमें इस स्थिति से शीघ्र उबरना होगा।
2. वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं के जनपदवार/ बैंकवार लक्ष्य नोडल एजेंसीज से प्राप्त कर सभी सम्बन्धित को प्रेषित कर दिये गये हैं एवं इन योजनाओं की प्रगति समीक्षा उच्चतम स्तर पर निरंतर की जा रही है परंतु अभीतक की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। आगामी त्यौहारो का मौसम, रबी फसल और अच्छा मानसून ऐसे अवसर हैं जिनका लाभ उठाते हुए Target Group की ऋण आवश्यकताएँ समय रहते पूरी की जा सकती है।
3. विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने पर पाया गया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण प्रवाह इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक परिलक्षित होता है। विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM); राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM); उ.प्र. सोडिक भूमि विकास कार्यक्रम एवं नाबार्ड द्वारा संचालित SHG - Bank Linkage Programme में SHG Lending पर बहुत जोर दिया जा रहा है। सभी सम्बन्धित बैंको एवं संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों से प्रदेश में SHG Movement को पुन: गति देने की अपेक्षा है एवं इस हेतु सभी से अपील है।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना पर गत वर्ष से विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा हो रही है। दिनांक 28.06.2017 को सम्पन्न हुई एस.एल.बी.सी. की मीटिंग के पश्चात प्रदेश में इस योजना के क्रियांवयन में गति आई है। सभी सम्बन्धित पक्षकारों (Stake Holders) से अनुरोध है कि इस पुनीत कार्य में सहभागिता करें।
5. दिनांक 01 सितम्बर 2017 को राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रदेश में एम.एस.एम.ई., प्राकृतिक आपदा, एन.पी.ए. एवं स्ट्रैस्ड एसेट्स तथा विमुद्रीकरण के पश्चात बैंक पर पड़ने वाले प्रभावों पर बैंकर्स से चर्चा की गई।
6. प्रदेश में -25,000- नई बैंक शाखाओं की स्थापना के संकल्प बिन्दु के अंतर्गत गठित उपसमिति की -2- बैठको का आयोजन हमारे बैंक द्वारा किया जा चुका है और आगामी बैठक शीघ्र ही प्रस्तावित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों जिसके अंतर्गत बैंकिंग आउटलेट को परिभाषित किया गया है, के क्रम में बैंको द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर बैंकिंग आउटलेट की स्थापना हेतु मैपिंग का कार्य किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इस दिशा में प्रगति परिलक्षित होगी।

7. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.09.2017 से 17.10.2017 तक वित्तीय समावेशन कैम्पों को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित करने के निर्णय से अवगत कराया गया जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के -4- जनपदों यथा वाराणसी (02.10.2017); मेरठ (06.10.2017); लखनऊ (07.10.2017) एवं गोरखपुर (14.10.2017) में कैम्पो के सफल आयोजन हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स यथा सम्भव सहयोग की अपील की।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु पुन: अनुरोध किया एवं एस.एल.बी.सी. से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व विवरणियों के सही व ससमय प्रेषण करने की आवश्यकता बतायी।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्रीमती पापिया सेन गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का अभिवादन एवं उनका स्वागत करते हुए कहा कि एस.एल.बी.सी., उ.प्र., प्रदेश के विकास में सुचारू रूप से महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर रही है तथा इसका श्रेय उ.प्र. शासन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न विभागो द्वारा दिये गये योगदान तथा समस्त बैंकर्स को जाता है। इसी क्रम में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर 70% आबादी मुख्य रूप से कृषि व कृषि आधारित व्यवसाय/ रोजगार पर निर्भर है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 55% सेवा क्षेत्र का 23% औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों का तथा 22% कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों का योगदान है। प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है जो कि एफ.डी. आई. को मुख्यत: साफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करता है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद को कृषि एवं कृषि आधारित 22% के वर्तमान अंश को बढाने के लिए, प्रदेश सरकार एक निर्धारित प्रारूप पर कार्य कर रही है तथा उसी दिशा में समस्त बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, राज्य सरकार के अन्य उपक्रम एवं विभाग, नाबार्ड आदि सभी एक जुट होकर "किसानों की आय 2022 तक दोगुनी" करने के राष्ट्रीय मिशन हेतु प्रयासरत है।

राज्य वार्षिक कार्य योजना 2017-18, रू. 32560.59 करोड़ (19.34%) की वृद्धि के साथ तैयार कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त इस बैठक में कैश क्राप (Cash Crop) के उत्पादन एवं इसकी बिक्री व्यवस्था पर ध्यान देना होगा ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) हासिल की जा सके। वेयर हाउसिंग एवं कृषि उपज, कृषि फसलों के बीमा आदि ऐसे प्रमुख विषय है जिनको प्रदेश में लागू करने हेतु निरंतर चर्चा की जानी चाहिए।

पुन: उन्होने सदन में उपस्थित उच्चाधिकारियों एवं गणमान्य अतिथियों के समक्ष बैंकिंग परिदृश्य के बदलते हुए उस स्वरूप पर प्रकाश डाला, जिसका प्रभाव वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित होता है।

National Statistical Organization, Data Stream व IMF के मतानुसार, वित्तीय वर्ष 2017 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 3% रही। वित्तीय वर्ष 2018 में भी इसके 2.90% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार वैश्विक स्फीति 2017 में 2.6% तथा वर्ष 2018 में 2.5% तथा आगे के वित्तीय वर्षों यथा 2019 से 2023 तक औसतन 2.5% अनुमानित है।
साथ ही साथ भारत में भी सकल घरेलु उत्पाद वर्ष 2017 में 7.3%, 2018 में 7.50% तथा औसतन 6.5% आगामी वर्षों यथा 2019-23 तक अनुमानित है। इसी अवधि में मुद्रा स्फीति की दर भी अनुमानित 4.8%, 4.9% तथा 5% रहने की सम्भावना है।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप, वृद्धि की ओर सकारात्मक रूप से चल रही है। वित्तीय वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चतर स्तर को पार करने का संकेत दे रही है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये जा रहे कदम एवं अनुकूल आर्थिक परिस्थितियाँ वर्षभर एक समान रहने की उम्मीद है। वर्ष 2018 में सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर किये जाने वाले व्यय, अच्छा मानसून, दिनांक 01.07.2017 से लागू नई कर प्रणाली- जी.एस.टी. जैसी व्यवस्थाएँ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रभावी कारक सिद्ध होंगे। फिर भी कुछ मुद्दे यथा, मुद्रास्फीति में बढोत्तरी, मुख्यत: कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोत्तरी, निवेश व अग्रिम में कमी, गैरनिष्पादक आस्तियों में बढ़ोत्तरी, भारतीय रूपये के मूल्य के सापेक्ष अनिश्चितता तथा अन्य वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है।

विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2016-17 में 7% की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई जो 2017-18 में 7.6% एवं 2018-19 में 7.80% अनुमानित है। सुश्री क्रिस्टालीना जोर्जिवा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्व बैंक के कथनानुसार विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। भविष्य में भारत में डिजिटल संव्यवहार से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी।

भारत वर्ष विश्व की तीसरी बडी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होने की आशा है। बॉस्टन कंसलटिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार और व्यय व्यवहार के रूझान में बदलाव के फलस्वरूप भारत 2040 तक अमेरिका को भी पीछे छोड कर Purchasing Power Parity के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन जायेगी।

<u>राज्य के महत्वपूर्ण संकेतक- व्यवसाय वृद्धि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति एवं शाखा प्रसार योजना आदि</u>

दिनांक 30.06.2017 को कुल जमा और अग्रिम क्रमश: रू. 873172.60 करोड़ एवं रू. 408390.83 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है। जहाँ 31.03.2017 के सापेक्ष जमा में रू. 2284.26 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है वहीं पिछली तिमाही के सापेक्ष अग्रिम में रू 3850.92 करोड़ की वृद्धि पायी गई।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि निवेश एवं दुर्बल आय वर्ग बैंचमार्क स्तर 40%, 18% एवं 10% के सापेक्ष प्रदेश में यह स्तर क्रमश: 64.54%, 31.90% एवं 20.24% के स्तर पर है जो कि सकारात्मक रूझान को इंगित करता है।

विभिन्न बैंको द्वारा जून 2017 तिमाही तक 130 नई बैंक शाखाएँ प्रदेश में खोली गई। तदनुसार प्रदेश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या 18388 हो गई है। पुन: एस.एल.बी.सी., उ.प्र. ने सदस्य बैंको से विचार विमर्श कर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30.12.2015 के दिशा निर्देश के आधार पर मार्च 2017 तक 571 शाखाओं के खोलने का रोडमैप तैयार किया था। भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 08.06.2017 के माध्यम से एस.एल.बी.सी. के संयोजन में समस्त बैंको को इन केन्द्रो पर सीबीएस युक्त शाखाएँ खोलने एवं भारतीय रिजर्व बैंक को 31.12.2017 तक अवगत कराने के निर्देश जारी किये है। इस लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक इनमे से 56 शाखाएँ ही खोली जा सकी है। इस प्रक्रिया में त्वरित गति लाने की आवश्यकता है। पुन: भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 18.05.2017 के माध्यम से "The Banking Outlet" परिभाषित की है। इस परिभाषा के अनुसार विभिन्न बैंको ने 79 Banking Outlet खोले है। इस प्रकार 135 बैंकिंग शाखाएँ अब तक खोली जा चुकी है।

<u>वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2017-18 के अंतर्गत प्रदर्शन -</u>

उत्तर प्रदेश में बैंको द्वारा निर्धारित वार्षिक ऋण वितरण लक्ष्य रू. 200958.25 करोड़ के सापेक्ष समीक्षा अवधि तक रू 32489.21 करोड़ ऋण वितरण कर 16.17% का स्तर प्राप्त किया गया है। निश्चित रूप से यह उपलब्धि

वांछित स्तर के अनुरूप नही है क्योकि उ0 प्र0 कृषि ऋण मोचन योजना, 2017 जिसके अंतर्गत लगभग 50 लाख लघु एवं सीमांत किसान लाभांवित होने की सम्भावना है, के कारण ऋण निवेश प्रभावित हुआ है।

ऋण मोचन योजना से किसानों को पुन: ऋण निवेश के अवसर बैंको को मिलेंगे। सभी स्टेक होल्डर्स से अनुरोध है कि अच्छे मानसून एवं आगामी रबी मौसम का लाभ उठाते हुए कृषि ऋण वितरण में बढ़ोत्तरी करें और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सर्वोत्तम योगदान दें।

<u>वित्तीय समावेशन योजना (FIP)- विभिन्न योजनाएँ और पहल -</u>

वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता एवं बैंको के लिए व्यवसाय वृद्धि का उचित अवसर भी है अत: हमें इसके महत्व को समझते हुए इस ओर अपने प्रयासों को सघन करने की आवश्यकता है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.); प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) और अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में बेहतर प्रदर्शन हुआ है। इस योजनाओं के कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर प्रशंसा हुई है। फिर भी रूपे डेबिट कार्ड, पिन वितरण, ओवर ड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना, इन खातों का नियमित संचालन करने के लिए खाताधारकों को प्रेरित करना, शाखाओं को बीमा निस्तारण प्रक्रिया, AEPS, व्यवसाय प्रतिनिधियों (BC) के प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना आदि क्षेत्रों में अभी भी सघन प्रयास करने की आवश्यकता है।

अटल पेंशन योजना की वर्तमान प्रगति के बारे मे उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक 8.50 लाख ग्राहक प्रदेश में इस योजना में नामांकन करवा चुके है। दिनांक 11.08.2017 को एस.एल.बी.सी. उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में एन.पी.सी.आई., भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु अभिनन्दन किया गया।

चूँकि बैंको के सभी मौजूदा खातों का आधार सत्यापन का कार्य 31.12.2017 तक सम्पादित होना है। अत: बैंको को इस दिशा में सघन प्रयास करने है। हाल ही में भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त अधिसूचित बैंको को प्रत्येक 10 शाखा पर एक शाखा परिसर में आधार नामांकन सुविधा स्थापित करना है जिसके लिए भी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) बैंको को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

वित्त मंत्रालय, संस्थागत वित्त निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन मे बैंको में स्कूल बैंक चैम्प कार्यक्रम, जन धन शिक्षा, कौशल विकास केन्द्रों एवं वित्तीय साक्षरता एवं ऋण सलाहकार केन्द्रों के बीच समंवय जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहे है।

<u>किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:</u> योजनांतर्गत 7.12 लाख किसानों को 30.06.2017 तिमाही तक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके है। बैंको द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। प्रदेश में इस कार्य की हर स्तर पर प्रशंसा की गई है। सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जाये जिससे प्रभावित कृषकों, यदि कोई, को योजना का लाभ मिल सके।

<u>ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) :</u>

जून 2017 तक का प्रदेश के समस्त कामर्शियल बैंको (ग्रामीण बैंको सहित) ऋण जमा अनुपात का स्तर 46.77% रहा है जो मार्च 2017 के 46.25% के सापेक्ष मामूली वृद्धि 0.56% दर्शाता है। पिछली तिमाही की एस.एल.बी.सी. की समीक्षा बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मुद्ददे की महत्ता देखते हुए एस.एल.बी.सी. की विशेष सब कमेटी उन जिलो में जहाँ ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, आहूत करने और ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास, रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी बैंकर्स से इस हेतु विशेष प्रयत्न करने का अनुरोध किया।

<u>लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम - पी.एम.एम.वाई./स्टैण्ड अप इण्डिया कार्यक्रम का क्रियांवयन :</u>

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक निर्धारित लक्ष्य रू. 10313.70 करोड़ के सापेक्ष रू. 9528.26 करोड़ की प्राप्ति की है जो 91.24% की लक्ष्य प्राप्ति दर्शाता है। यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी जारी है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस योजना में निर्धारित लक्ष्य रू. 12461.25 करोड़ है। दिनांक 31.08.2017 तक बैंको द्वारा कुल रू 2960.78 करोड़ वितरित किये जा चुके है जो 23.75% की प्रगति प्रदर्शित करती है।

अवगत हो कि स्टैण्ड अप इण्डिया कार्यक्रम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों के लाभ के लिए लागू किया गया है। इस योजना में अभी तक क्रमश: 4306 तथा 2684 लाभार्थियों को ऋण की स्वीकृति एवं वितरण बैंको द्वारा किया गया है। जिसके अंतर्गत धनराशि रू.828.60 करोड़ स्वीकृति तथा रू. 367.00 करोड़ वितरित किये जा चुके है।

<u>ऋण वसूली</u> - कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक ऋणों की समग्र वसूली क्रमश: 61.79% एवं 62.80% रही है। यह वसूली गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में की गई वसूली यथा 65.17% तथा 66.61% से कम है।

उन्होंने राज्य के सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे बैंको का यथा सम्भव सहयोग करें ताकि वसूली में अपेक्षित सुधार आये। इसका सीधा असर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर पड़ेगा।

अंत में उन्होंने सभी उपस्थित गण मान्य अतिथियों तथा प्रतिभागियों की प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी एवं गरिमामयी उपस्थिति पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उ.प्र. शासन ने इस बैठक में अपनी सहभागिता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रदेश में मुख्यत: कृषि ऋण मोचन कार्यक्रम एवं ऋण जमा अनुपात पर जोर देकर कहा कि प्रदेश के ऋण जमा अनुपात विषय पर सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के जितने अवसर उत्पन्न होंगे उसी अनुपात में प्रदेश का विकास होगा। इस हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम के तहत बैंको को सम्बन्धित सरकारी एजेंसीज द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र एजेंसी स्तर पर चयनित करके बैंको को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये है। इन योजनाओं के काफी अधिक संख्या में आवेदन पत्र बैंक स्तर पर अधिक समय तक विचार हेतु लम्बित रहते है। इनका निस्तारण पूर्ण रूप से नही किया जाता है जिससे चयनित लाभार्थी का आवेदन पत्र अनिर्णित रहता है एवं वह किसी अन्य योजना में भी प्रतिभाग नही कर पाता है अर्थात आवेदन नहीं कर पाता है। उन्होंने बैंको से अपील की कि बैंक अपने स्तर पर सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करायें। इन योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्रों की गुणवत्ता पर यदि सन्देह हो तो इसमें सुधार हेतु अपने सुझाव, सरकारी एजेंसीज को भेजे जा सकते है। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक प्रायोजित आवेदन पत्रों पर यथा शीघ्र निर्णय लेकर निस्तारित करने की प्रक्रिया अपनाएँ। निरस्त आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र प्रायोजक एजेंसी को वापस कर दें ताकि अन्य उपयुक्त लाभार्थी का चयन किया जा सके एवं आवंटित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस हेतु उन्होंने बैंको से यथोचित सहयोग की अपील की। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान सरकार द्वारा बजट मे से लगभग रू. 36000 करोड़ की धनराशि किसानों के ऋणों की एक सीमा तक माफी हेतु बैंको को प्रदान किया गया। इसकी भरपाई तभी हो पायेगी जब प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ उच्च स्तर पर होंगी।

लाभार्थियों को बैंको द्वारा प्रदान किये गये ऋणों की वसूली में राज्य सरकार बैंको की मदद करती है। इसीलिए उन्हें वांछित ऋण राशि प्रदान कर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि में सहयोगी होने का अवसर प्रदान करें।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अध्यक्षता हेतु पधारी कार्यकारी अधिकारी श्रीमती पापिया सेन गुप्ता; श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव एवं उपस्थित समस्त महाप्रबन्धकों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास को विमुद्रीकरण के पश्चात एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया। एक तरफ जनता अपने लेन देन के व्यवहार को बैंको के माध्यम से चाहती है दूसरी ओर वर्तमान संसाधन अभी वांछित लक्ष्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त नही है। सरकारी बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुधारात्मक उपाय अपनाने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

- छः सरकारी बैंको पर सुधारात्मक निर्देश जारी करने का मुख्य कारण बैंको के एन.पी.ए. पोर्टफोलियों में अत्यधिक वृद्धि का होना है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में न केवल चिन्हित सरकारी बैंको के एन.पी.ए. स्तर को कम करना है वरन सभी बैंको के एन.पी.ए स्तर को नियंत्रित तथा कम करना प्राथमिकता है। अतः हमें वसूली कार्यक्रम को बहुत ही कारगर एवं प्रभावी तरीके से चलाना है। इस हेतु राज्य सरकार से बैंको की ऋण वसूली हेतु आवश्यक सहयोग आवश्यक है।
- उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों हेतु आयोजित किये जा रहे विभिन्न कैम्पों के आयोजन की चर्चा की तथा बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों की संख्या अच्छी खासी है। अतः इस सेक्टर को समुचित ऋण प्रवाह आवश्यक है।
- राज्य सरकार की कृषि ऋण मोचन योजना स्वागत योग्य है, ऋण मोचन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। द्वितीय तथा तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण होनी है।
- प्रदेश मे बैंक शाखाऐं खोलने के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय मे बहुत से कारक है जो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने मे आड़े आ रहे है।
- उन्होने कहा निःसन्देह बैंक शाखा खोलने से आर्थिक गतिविधियों में बढोत्तरी होती है। लोगो को बैंकिंग सुविधा मिलने से कारोबार में मदद मिलती है। बैंकिंग गतिविधियाँ ऋण जमानुपात भी प्रभावित करता है। कुछ बैंको पर सुधारात्मक उपाय लागू होने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुपलब्धता भी बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया को बाधित करता है। उन्होंने बैंकर्स को सुझाव दिया कि वे बिना बैंको वाले ऐसे स्थान खोजे जहाँ कोई भी बैंक शाखा नही है। ऐसे स्थानों पर सी.बी.एस. युक्त बैंक शाखा प्राथमिकता के आधार पर खोलने का कार्य किया जा सकता है। बिना बैंक शाखा के बाद ऐसे स्थानों का चयन करें जहाँ जनसंख्या के सापेक्ष बैंकिग सुविधा अपर्याप्त है तथा वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था नागरिकों को समस्त सुविधाएँ व पर्याप्त ऋण प्रदान करने मे अपर्याप्त है। ऐसे स्थानों पर शाखा खोलने की कार्य योजना बनाएँ।
- ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु यथा सम्भव ऋण प्रवाह की कार्य योजना बनाएँ।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने दिसम्बर 2017 तक प्रदेश में -571- शाखाएँ खोलने के लक्ष्य के शत प्रतिशत पूर्ति हेतु अनुरोध किया।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की गयी -

कार्यसूची संख्या - 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 28.06.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 28.06.2017 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 06.09.2017 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या - 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 28.06.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर - सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन :

सदन में विषयक चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण, समझौता ज्ञापन का निष्पादन तथा लीज डीज का निष्पादन आदि कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंको व एस.एल.बी.सी. की उपसमिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश के -2- जनपदों यथा बदायूँ और झाँसी में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नयी आर- सेटी की स्थापना की जा चुकी है एवं -3- जनपदों यथा शामली, सम्भल और हापुड़ में नयी आर- सेटी की स्थापना हेतु सम्बन्धित बैंको एवं ग्रामीण विकास विभाग, उ.प्र. द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार के साथ अनुश्रवण किया जा रहा है।

2. प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं सक्रियकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में आधार संख्या की सीडिंग करना :

सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले सभी पात्र खातों में जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं उनके एक्टिवेशन हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत सभी बैंको द्वारा कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। साथ ही साथ मनरेगा श्रमिकों के खातों, पी.एम.जे.डी.वाई के अंतर्गत खुले खातों व सिविल पेंशनर खातों में आधार सीडिंग का कार्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

3. 5000 एवं अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गाँव जहाँ कोई भी बैंक शाखा नहीं है, वहाँ बैंको द्वारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखा खोलने हेतु रोडमैप:

सदन में इस बिन्दु पर चर्चा की गयी। अद्यतन शिथिल प्रगति के दृष्टिगत सभी बैंको द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही कर समय-सीमा में शाखाओं को खोलने की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अनुरोध दोहराया गया।

4. बैंक मित्रों की स्थिति:

प्रदेश में वित्तीय साक्षरता के प्रचार- प्रसार हेतु समस्त बैंको द्वारा बैंक मित्रों (Business Correspondents) की नियुक्ति कर उनकी सेवायें ली जा रही हैं। उनकी कार्य प्रणाली पर सदन में चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान सदन को बताया गया कि विगत दिनों में प्रदेश में सक्रिय बैंक मित्रों का प्रतिशत 88.91 से बढकर 89.34 हुआ है व कुल सक्रिय बैंक मित्रों की संख्या 18918 हो गयी है।

5. बैंको द्वारा LBS MIS- I, II और III विवरणी का ससमय प्रेषण :

एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन में उपस्थित समस्त सम्बद्ध को इन विवरणियों के प्रेषण की महत्ता बताते हुए इनके सुसंगत आँकड़ो के ससमय प्रेषण हेतु अनुरोध दोहराया गया।

कार्यसूची संख्या - 3

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

भारत सरकार द्वारा 15.08.2014 से प्रारम्भ की गयी इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस योजना के अंतर्गत दिनांक 25.08.2017 तक 4.60 करोड़ खाते खोले जा चुके है तथा पिछली रिपोर्टिंग दिनांक 17.05.2017 से कुल 13 लाख नये खाते 3 माह की अवधि में खोले गये तथा इसी अवधि में लगभग 7.5 लाख नये रूपे कार्ड जारी हुए जिनकी कुल संख्या समीक्षा अवधि में 3.61 करोड़ तक पहुँच चुकी है।

इसी के साथ डी.बी.टी. योजना के सफल क्रियांवयन के लिए निष्क्रिय बैंक मित्रों को सक्रिय कराने एवं नये बैंक मित्र बनाने पर विचार किया गया। सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंक मित्रों के पास AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) आधारित ट्रांसेक्शन मशीन उपलब्ध है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में -8- स्थानो पर मेगा डिजी धन मेलो का आयोजन किया गया जिसमें जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ख) सुरक्षा योजनाओं का क्रियांवयन -

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ यथा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" व "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" एवं एक पेंशन योजना "अटल पेंशन योजना" के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दावों के निस्तारण पर बैंको, बीमा कम्पनियों मे त्वरित गति से कार्य करने का निर्णय लिया गया। अटल पेंशन योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र तथा प्राइवेट सेक्टर एवं स्वरोजगार व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु उपरांत उन्हें पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रदेश में 07.09.2017 तक अटल पेंशन योजना में 8,50,295 अंश धारक अपना पंजीकरण करवा चुके है।

ग) स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम -

भारतीय बैंक संघ ने वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि में स्कूल विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से अवगत कराने एवं वित्तीय जागरूकता की भावना उत्पन्न कराने हेतु स्कूल बैंक चैम्प्स प्रोग्राम का शुभारम्भ किया है। इस पहल के अंतर्गत बैंको की सभी शाखाओं द्वारा एक विद्यालय को अंगीकृत किया जाना है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से सम्बन्धित प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब तक प्रदेश में अंगीकृत 9649 स्कूलों में 8809 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 469803 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गयी। इस कार्यक्रम को आगे भी चलाया जाना है।

घ) कौशल विकास केन्द्रों की वित्तीय साक्षरता केन्द्र से मैपिंग -

वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि में कौशल विकास संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिचालन केन्द्र की अग्रणी जिलों में कार्यरत वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के साथ मैप कराया जा रहा है। प्रदेश में अंगीकृत 1957 सक्रिय कौशल केन्द्रो में 1315 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 66592 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गयी।

च) जन- धन शिक्षा कार्यक्रम:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जन धन शिक्षा का शुभारम्भ किया। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 100 विद्यालयों को अंगीकृत किया जाना है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। बैंको से विद्यालयों की मैपिंग का कार्य एस.एल.बी.सी. द्वारा पूर्ण किया गया है।

छ) वित्तीय समावेशन के तहत अन्य कार्यक्रम :

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की सघन समीक्षा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा बैंको के साथ लगातार समीक्षा बैठक एवं वीडियों क्रांफेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। इस सन्दर्भ में दो मुख्य बिन्दुओं पर जोर दिया गया है-

1) जारी किये गये सभी रूपे कार्ड्स एवं पिन का वितरण एवं एक्टीवेशन

2) जीरो बैलेंस खातों में फण्डिंग

ज) बैंक खातों में आधार प्रविष्टिकरण एवं अधिप्रमाणन :

भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की सरकारी अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार की अनिवार्यता आवश्यक कर दिया है। भारत सरकार ने Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules 2005 में संशोधन कर बैंको मे 01.06.2017 से खोले जाने वाले खातों में आधार संख्या अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी मौजूदा बैंक खातों में 31.12.2017 तक आधार लिंकिंग तथा सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

झ) डिजिटल बैंकिंग:

विमुद्रीकरण के पश्चात कैश लेश लेन देन को बढ़ावा देने हेतु बैंको ने आधार युक्त जमा भुगतान एवं रूपे कार्ड आधारित जमा भुगतान शुरू किया है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा मोबाइल बैंकिंग, यू.पी.आई. (Unified Payment Gateway); भीम (Bhim) इत्यादि जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जा रही है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू. 312 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें से बैंको को अपने स्तर पर इलेक्ट्रानिकली ट्रांजेक्शन यथा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई.म.पी.एस. क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पांइट ऑफ सेल, आधार आदि से पूर्ण करना है। बैंको द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रथम -4- माह में लगभग 44 करोड़ 74 लाख ट्रांजेक्शन इस श्रेणी में किये जा चुके है।

कार्यसूची संख्या - 4

(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन- प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है जो कार्यशील पूंजी और टर्म कोन के रूप में होती है। इस योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को बुनकर क्रेडिट कार्ड के रूप में वित्त पोषण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अब बुनकर समुदाय हेतु ऋण सुविधा "मुद्रा योजना" के अंतर्गत कवर की जायेगी और यह योजना "प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर - मुद्रा योजना" के नाम से जानी जायेगी। इस सन्दर्भ में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देश प्रेषित किये गये है। प्रदेश में -7- हथकरघा क्लस्टर चिन्हित किये गये है और वित्तीय वर्ष 2016-17; 2017-18 एवं 2018-19 के लिए क्लस्टवार एवं बैंकवार कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश चिन्हित बैंको द्वारा प्रेषित किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियांवयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक सब कमेटी सिंडीकेट बैंक के समन्वय में गठित है, जिसकी नियमित बैंक के आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जानी है।

कार्यसूची संख्या - 5

(वार्षिक ऋण योजना 2017-18 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत जून 2017 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति सदन के समक्ष एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रथम त्रैमास की वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष कुल उपलब्धि

16.17% रही इसमें सेक्टरवार प्रगति का प्रतिशत क्रमश: कृषि - 15.79%; लघु उद्यम- 21.16% एवं सेवा क्षेत्र- 12.61% दर्ज किया गया।

वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष 2017-18 के लिए यह योजना रू. 32560.59 करोड अधिक रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के जून 2017 तक गत वर्ष की समान अवधि के लिए रू.4524 करोड धनराशि कम वितरित हुई।

प्रस्तुत आँकड़ो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक तथा निजी क्षेत्र के बैंको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रगति 18.08% व 9.84% रही है। कोआपरेटिव बैंको की प्रगति का प्रतिशत 16.21% रहा है।

समस्त सदस्य बैंको को पुन: स्मरण कराया गया कि अग्रणी जिलों से सम्बन्धित समस्त आँकड़ो के समेकन हेतु एल.बी.एस. एम.आई.एस. (LBS MIS) का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें ताकि समेकित डाटा भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके।

सदन को अवगत कराया गया कि नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 29.06.2017 को राज्य स्तरीय यूनिट कॉस्ट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कमेटी द्वारा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु यूनिस्ट कास्ट का आंकलन कर निर्धारण किया गया। नाबार्ड से प्राप्त इस समिति की बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत्त सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची संख्या - 6
(ऋण जमा अनुपात)

प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और इसे योजनाबद्ध तरीके से बढाने हेतु विचार किया गया। इस सन्दर्भ में प्रदेश के जून 2017 त्रैमास की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें मार्च 2017 के सापेक्ष बढ़ोतरी और घटोतरी की समीक्षा हुई। वाणिज्यिक बैंको + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का जून 2017 तक का ऋण जमा अनुपात जून 2016 के सापेक्ष 6.06% कम हुआ। इसी क्रम में -18- ऐसे जिले हैं जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है।

ऐसे जनपदों के ऋण जमा अनुपात का अवलोकन किया गया तथा बल दिया गया कि इस हेतु सघन प्रयास किये जाये ताकि ऋण जमा अनुपात में सार्थक एवं सकारात्मक वृद्धि हो सके। बैंको से अनुरोध किया गया कि बैंक अपने स्तर पर जिला स्तरीय परामर्श समितियों को निर्देशित करें व मीटिंग में हुई प्रगति से एस.एल.बी.सी. को अवगत करायें। यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की संयोजकता में एक उपसमिति गठित की गयी है जो इस योजना की समीक्षा करती है और जिसकी समीक्षा बैठक निरंतर होती है।

कार्यसूची संख्या - 7
(पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजनांतर्गत प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों जहाँ इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा गठित उपसमिति की बैठकों में विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि इस समीक्षा बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जाए जिससे सभी विभागों द्वारा सम्बन्धित प्रगति की सार्थक चर्चा की जा सके।

कार्यसूची संख्या - 8

(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रदेश में कुल 35 लाख के.सी.सी. जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष समीक्षा अवधि तक कुल 723334 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है जिनमें कुल 212311 नये कार्ड जारी किये गये एवं शेष 511023 कार्डो का नवीनीकरण किया गया। साथ ही साथ यह योजना भी बीमा से आच्छादित है जिसमें किसान का एक व्यक्तिगत बीमा एवं दूसरा दिए गये ऋण का बीमा होता है।

भारत सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" का क्रियांवयन सभी बैंको के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना प्रत्येक ऋणी कृषको के लिए अनिवार्य है। अत: बैंको द्वारा प्रत्येक किसान को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2016-17 के लिए खरीफ फसल के लिए फसल बीमा योजना की प्रगति कृषि निदेशालय से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई। सदन के समक्ष एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. एवं निजी बीमा कम्पनियों द्वारा फसल बीमा योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की गई।

बैठक में ऋणी तथा अऋणी कृषकों के ऋण खातों में बीमा प्रीमियम की धनराशि खाते से डेबिट कर कंसेट फार्म के अनुसार, वांछित सूचनाओं सहित प्रीमियम राशि का उपयुक्त स्तर पर ससमय प्रेषण, योजना के पोर्टल पर अपलोड किये जाने पर चर्चा हुई तथा प्रीमियम राशि डेबिट होने की सूचना ऋणी/ अऋणी कृषक को SMS के माध्यम से प्रेषित करना आवश्यक है।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक बीमित कृषक के बैंक खाते को कृषक के आधार कार्ड से लिंक किये जाने का अनुरोध बैठक के माध्यम से किया गया।

कार्यसूची संख्या - 9

(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में विस्तृत चर्चा की गयी। स क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि सिडबी की CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। सदन में भारत सरकार की "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" की प्रगति विस्तृत चर्चा की गयी तथा सदन को बताया गया कि प्रदेश में इस योजना की प्रगति लगभग 24% रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सेक्टर की सघन समीक्षा नियमित रूप से Empowered Committee on MSME के माध्यम से की जा रही है। इसी क्रम में आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गयी। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किये गये "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की चर्चा की गयी जिसमें प्रगति हेतु सघन प्रयास किये जा रहे है।

कार्यसूची संख्या - 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या - 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

सदन में योजनांतर्गत प्रगति प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की कुल ऋण वसूली की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है।

सदन में उपस्थित कुछ बैंको द्वारा अवगत कराया गया कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वसूली हेतु जनपद स्तर से वांछित सहयोग बैंकर्स को प्राप्त नही हो पा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यसूची संख्या - 12

(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 22.44% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक के सापेक्ष उत्साहवर्धक है।

कार्यसूची संख्या - 13

(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों यथा राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के चयनित -8- जनपदों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी। समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज के कार्य में भरपूर सहयोग प्रदान करें।

इसी क्रम में सदन को यह भी अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूह की समीक्षा हेतु एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसकी नियमित बैठके बैंक ऑफ बड़ौदा व नाबार्ड द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा होती है।

कार्यसूची संख्या - 14

(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - एन.आर.एल.एम."

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -122- चिन्हित विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में नोडल विभाग द्वारा प्रगति से अवगत कराया गया एवं यह भी बताया गया कि योजनांतर्गत लक्ष्य विभिन्न बैंको को प्रेषित किये गये हैं, जिनकी पूर्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - एन.यू.एल.एम.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है।

इस योजना के बैंकवार लक्ष्य समस्त बैंको को प्रेषित कर दिए गये है और इस योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस क्रम में सूडा के प्रतिनिधि ने बैंको को प्रेषित लक्ष्यों से सदन को अवगत कराया एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी - 'के.वी.आई.सी.' के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नोडल एजेंसी द्वारा कुल वार्षिक लक्ष्यों का एजेंसीवार/ जनपदवार आवंटन सभी स्टेक होल्डर्स को प्रेषित किया जा चुका है। इस विषय पर श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस योजनांतर्गत चयनित किये गये लाभार्थियों को यथासम्भव शीघ्र वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता नही रखतए है उनके आवेदन नोडल एजेंसी को बैंको द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दिए जाये जिससे नोडल एजेंसी को वास्तविकता की जानकारी हो सके तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अन्य पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया समय से पुन: प्रारम्भ हो सके।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल -4863- आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं कुल -801- मामलों में वितरण की कार्यवाही की गयी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश सरकार की यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष विनिर्माण उद्योगों को विकसित करने हेतु वित्त पोषण किये जाने का प्रावधान हैं। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान (Interest Subsidy) की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। सभी मामलों में ब्याज उपादान राशि प्राप्त करने हेतु बैंको से पुन: अनुरोध किया गया। नोडल विभाग द्वारा बैंको से पुन: अनुरोध किया गया कि वे लम्बित दावे सम्बन्धित विभाग को तुरंत प्रेषित करें जिससे उनकी धनराशि प्राप्त हो सके। ताकि बड़ी संख्या में ऋण खाते गैर निष्पादक आस्तियों (एन.पी.ए.) में तब्दील होने से बच सके।

कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसकी समीक्षा प्रदेश सरकार द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना वर्ष 2017 से समाप्त कर दी गयी है परंतु माइक्रो कामधेनु योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त बैंकों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं एवं संतोषजनक प्रगति भी परिलक्षित हो रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

दिनांक 17.02.2015 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य "सबके लिए आवास" उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत प्राप्त प्रगति से सदन को अवगत कराया गया एवं प्रदत्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या - 15
(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र -

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट - सब्सिडी योजना -

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है| योजनांतर्गत कार्यवाही हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या - 16
(शैक्षिक ऋण)

योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान कुल -4672- मामलों में कुल रू. 130.52 करोड़ की धनराशि वित्त पोषित की गयी।

कार्यसूची संख्या - 17
(बैंको के विरूद्ध अपराधिक घटनाएँ)

चर्चा के दौरान सदन को बैंकों से सम्बन्धित निम्न आपराधिक मामलों के विषय में बताया गया:-

1. सर्व यू. पी. ग्रामीण बैंक की पिनाना शाखा, जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 30.05.2017 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें लगभग रू 7,56,896/- नकदी की लूट हुई।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा, गोरखपुर क्षेत्र की मालीपुर शाखा, जनपद अम्बेडकर नगर में एक अज्ञात व्यक्ति ने शाखा का ताला तोड़कर शाखा परिसर में प्रवेश कर गया, लेकिन उसी समय पुलिस गश्त के दौरान पुलिस गाड़ी का सायरन सुनकर अपराधी परिसर छोड़कर भाग गया। किसी भी नकदी की हानि की बात नही मालूम पड़ी।

दोनो ही मामलो मे पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी।

पुलिस महानिदेशालय से प्रतिभाग हेतु पधारे श्री मिश्र ने सदन को बताया कि मुजफ्फरनगर की घटना से सम्बन्धित सभी अभियुक्त पकड लिए गये हैं तथा आधी रकम बरामद कर ली गयी है।

इसी क्रम में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक श्री अजय कुमार ने शाखाओं के बाहर सी.सी.टी.वी. स्थापित करने का सुझाव दिया ताकि शाखा परिसर के बाहर भी सन्दिग्ध गतिविधियों की भी रिकार्डिंग हो सके।

कार्यसूची संख्या - 18
(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

अंत में एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा की गई। महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक एस.एल.बी.सी., श्री बी. एस. ढ़ाका ने सदन को अवगत कराया कि फसल बीमा योजना पर माननीय हाईकोर्ट के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके अनुसार हर ऋणी कृषक का बीमा कराना अनिवार्य है ताकि प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर बीमित राशि का लाभ किसान को प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि फसलों का बीमा समयबद्ध रूप से न कराने पर बैंको को उत्तरदायी माना जायेगा और क्षतिग्रस्त फसल के नुकसान की भरपाई बैंको द्वारा की जायेगी। अतः सभी बैंकों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बैठक के अंत में श्री एस. के. अरोड़ा, उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 20.09.2017 - कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Distribution & Activation of RUPAY Cards issued under PMJDY & also Aadhaar Seeding in Bank Accounts of beneficiaries under various Govt. programmes	Under the PMJDY, the Banks in the State opened large number of Bank Accounts which have been issued the RUPAY debit cards. However, it is observed that distribution of these cards and inturn their activation could not happen for various reasons. Further, the Govt. of India is emphasizing upon the Aadhaar Seeding in Bank accounts of the beneficiaries under various Govt. programs viz. MANREGA, Central Government Pensioners, DBT beneficiaries etc. However, the desired results are not forthcoming. Accordingly, the DFS, MoF, GoI & the State Govt. has initiative various steps and issued necessary instructions to the Banks to bring about marked improvement in the aforementioned areas including organizing special camps, field visits, taking services of the Business Correspondents etc. The Banks have taken all necessary steps in this direction for ensuring achievement of the desired results	In view of the importance attached to these issues, the Banks are requested to continue their ongoing efforts more vigorously so as to achieve the desired goals. (Action: All Banks)
2.	Opening of Brick & Mortar Branches of SCBs (including RRBs) in the villages having population of 5000 & above which are still not having a branch of SCBs (including RRBs) as per the Roadmap.	In tune with, RBI's instruction vide letter no. FIDD.Co.LBS.BC.No.82/02.01.001/2015-16 dated 31.12.2015, a Roadmap was prepared in the State and -571- centres have been identified for opening of a new B & M Branch. This allocation exercise was finalized in consultation with all concerned and was approved by the respective DCCs in the District. The detailed modalities of this scheme had been communicated by SLBC to all concerned vide communication no. EUPZ/42/SLBC/Br. Expansion/129 dated 01.04.2016 with a request to complete this exercise within the set timeline. As per RBI Circular nos. RBI/2016-17/306DBR.No.BAPD.BC.69/22.01.001/2016-17 dated 18.05.2017 and FIDD.Co.LBS.BC.No.31/02.01.001/2016-17 dated 08.06.2017, it was advised to ensure coverage of unbanked centres in villages with population above 5000 by opening CBS enabled banking outlets. Till September 2017, -58- Bank Branches and -79- Banking outlets have been opened by various banks leaving a gap of -434- branches/banking outlets to be opened at the earliest. A detailed discussion has taken place during a Sub – Committee Meeting dated 04.05.2017 & 17.07.2017. The issue has been effectively taken up with all Banks by SLBC.	RBI has expressed their concern & displeasure over no marked improvement in this regard. All -30- Banks who have been allocated their share for opening of Branches/CBS enabled Banking Outlets are requested to initiate urgent suitable action so that the targets are achieved with in the set timelines. (Action: All -30- Banks)
3.	Submission of LBS MIS I, II & III Statements by Banks	The Reserve Bank of India has issued guidelines vide Master Circular – RBI/2016-17/02 FIDD.CO.LBS.BC.No. 5/02.01.001/2016-17 dated 01.07.2016 for submission of various periodical returns on prescribed format LBS MIS I, II & III under the Lead Bank Scheme. The position of disbursement, outstanding and recovery is monitored by various authorities on the basis of Bank-wise data. However, it is experienced that the periodical data is not submitted to the SLBC as per prescribed time schedule which ultimately leads to the inordinate delay in submission of the consolidated information to RBI in respect of various Banks in the State. In view of the statutory requirement and the importance of this data base, the Banks are required to invariably submit the periodical information on prescribed proforma as per prescribed time schedule to the SLBC. Incidentally, this issue is being regularly taken up by SLBC with all Banks for necessary action and resolution.	In view of the fact that the desired outcome is not yet forthcoming and Reserve Bank of India has viewed it seriously, the Banks are requested for suitable necessary action in this regard in tune with extant guidelines of Reserve Bank of India. (Action: All Banks)

4.	Effective Implementation of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) & Stand Up India (SUI) Schemes in the State in order to achieve the set Annual Targets	The PMMY & Stand Up India Schemes are Govt. of India sponcered Schemes and were launched with effect from 08th April 2015 and 05th April 2016 resepctively. Under PMMY, the Annual Targets are received by the Banks in the State from their Corporate Office which inturn are distributed up to the Branch Level. Under the SUI, every branch is require to finance -1- SC/ ST and -1- Women Enterprenoure. It would be pertinent to mention that under PMMY, the maximum Ceiling of the loan account per benifitiary is Rs. 10 lacs while under the Stand Up India Scheme, the projects ranging from Rs.100001/- up to Rs. 1 Crore are covered. The Progress under PMMY during 2015-16 and 2016-17 at the level of 80.97% and 91.24% respectively against the set Annual Targets indicate that Banks are activily involved in the process of scheme implementation. Similarly, under Stand Up India scheme, the performance of the Banks has remained at the level of approx. 12%. The low performance, is a matter of concern at all levels and is attributed to various reasons which requires certain modifications under scheme implementation. The Targets under PMMY for Fiscal 2017-18 are already finanlized and the progress is being closely monitored by various authorities. Against the set Annual Target of ₹ 12461.25 crores, the achievement as at 08.12.2017 is to the tune of Rs. 7424.20 crores (59.58%).In view of the fact that both these schemes are aimed at employment generation, fullfiling the assigned targets is also necessary.	Owing to the utmost importance attached to the issue with regard to achievement of set annual targets, all Banks are requested to actively participate under the scheme implementation and endevour to achieve the set Annual Targets. (Action: All Banks)
5.	Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to fulfill the National objective of Housing for all.	The Scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 17.06.2015. The Scheme has four verticals viz. "In Situ" Slum Redevelopment, Affordable Housing though Credit Linked Subsidy, Affordable Housing in Partnership, Subsidy for beneficiary- led individual house construction. The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) is being implemented through Primary Lending Institution (PLI) wherein National Housing Bank and HUDCO have been identified as Central Nodal Agency (CNA). The Scheme coveres EWS, LIG and MIG Sections of the society and coveres various loan components up to Rs. 18 lacs. The Government is placing a lot of thrust on the Housing Sector and this scheme being implemented through Banks with a Subsidy component, is being closely monitored at all levels.	Looking to the impotance of the Scheme and thrust on housing, Banks are requested to activily participate under scheme implementation. (Action: All Banks, ; Central Nodal Agency)

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 20.09.2017

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Ms. Papia Sengupta		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri B S Dhaka	0522-6677607,	zm.upu@bankofbaroda.com
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajay Kumar		
4				Asstt. General Manager	Shri R K Singh	8887171993	rksingh2@rbi.org.in
5	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Sri Manmay Mukherjee		
6				Asstt. Gen. Manager	Shri M P Pahad Singh	9565431047	mahesh.pahadsingh@nabard.org
7	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Gautam Sen Gupta		cgm.lkoluc@sbi.co.in
8				Dy. General Manager	Shri R N Dixit	9599935515	dgmoutreach.lholuc@sbi.co.in
9				Asstt. Gen. Manager	Shri Dayadhar Raj Srivastava	9415052018	drajsrivasatva@sbi.co.in
10				Chief Manager	Shri Raj Kumar	8765380435	agmlb.lholuc@sbi.co.in
11	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri Dinesh Kumar	9417003921	fgmo.luc@allahabadbank.in
12				Chief Manager	Shri Om Prakash Narain	9471262658	fgmo.luc-slbc@allahabadbank.in
13	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri Lal Singh	9920123101	fgm.lucknow@unionbankofindia.com
14				Chief Manager	Shri Motilal	9918702102	
15	Syndicate Bank	Field General Manager	No	Dy. General Manager	Shri Sandip Kumar Ghosh	9532033011	zo.lucknow@syndicatebank.co.in
16				Senior Manager	Shri S P Yadav	8004912850	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
17	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	no	Dy. General Manager	Shri Sulakhan Singh	9780432277	nb.north2@bankofindia.co.in
18				Manager	Shri Himanshu Tripathi	8006400807	nb.north2@bankofindia.co.in
19	Central Bank of India	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri S K Khanna	9918001142	zm.luck20@centralbank.co.in
20				Senior Manager	Shri Sapan Goel	9918878770	rdluckzo@centralbank.co.in
21	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Rakesh Shukla	7073888700	zm.lko@pnb.co.in
22				Chief Manager	Shri V V Singh	9910818883	vvsingh@pnb.co.in
23				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
24	Canara Bank	Chief Gen. Manager/ State Head	No	Dy. Gen. Manager	Shri Anil Kumar Jain	7317714914	ak.jain@canarabank.com
25				Senior Manager	Shri Kirit Nagar	8756993559	
26	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager, Zonal Manager	Shri Sanjay Lade	7233002101	zolucknow@indianbank.co.in
27				Manager (Agri)	Shri Ajai Kumar Chaudhery	0522-2332205	zolucknow@indianbank.co.in
28	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri S C Bantolia	9721459111	sbantolia@denabank.co.in
29				Manager	Ms. Sbhubhangi Anand	9721459202	rdd.lucknow@denabank.co.in
30	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Kamlesh Sethi	9833150863	zm.lucknow@psb.co.in
31				Manager	Shri Sayanton Adhikary	9888017038	ho.slbccell@psb.co.in
32	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri L R Sidhu	9818294343	cb8817agri@corpbank.co.in
33				Chief Manager	Shri Shyamla Baskey	9903820102	cb8817agri@corpbank.co.in
34	Andhra Bank	General Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri V Sambasiva Rao	7311106709	zoluck@andhrabank.co.in
35	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	Yes	Chief General Manager	Shri Rajesh Kumar Mathur	9500108210	lucknowrm@iob.in
36	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	No	Dy. Gen. Manager	Shri Kamal K Manchanda	9717130222	kkmanchanda@obc.co.in
37				Chief Manager	Shri Bimal Kishore Pandey	8853942920	cmo-bb-ecup@obc.co.in
38	United Bank of India	Chief Regional Manager	no	Chief Manager	Shri K L Singh	7054671817	devcentral@unitedbank.co.in
39	UCO Bank	Zonal Head	Yes	General Manager	Ms. Kalpana	7054845888	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
40				Dy. General Manager	Shri J C Chippa	9415012621	zo.lucknow@ucobank.co.in
41	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Asstt. Gen. Manager	Shri Manoj K Sinha	9909946889	lucknowagm@vijayabank.co.in
42	Bank of Maharashtra	State Head	no	Dy. General Manager	Shri Rajesh Kumar Porwal	9041539430	zmlucknow@mahabank.co.in
43	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri D P Gupta	7704809183	chairman@barodarrb.co.in
44	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M N Patel	8127769700	chairman.augb@gmail.com
45	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	No	General Manager	Shri Ajeya Thakur	7388899760	gm1.gba@gba-rrb.com
46	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M S Arora	9837036728	chairman@prathamabank.org
47	Purvanchal Bank	Chairman	No	General Manager	Shri V K Agarwal	7571810004	agrawalvk@gmail.com
48	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Anil Kr. Sharma	8130167878	cms@upgb.com

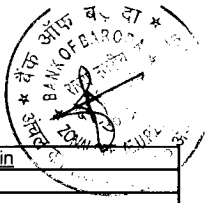

49	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Kailash Nath	9415226600	gm.kgsg@kgsgbank.co.in
50	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Dy. General Manager	Shri Deependra Kumar	7525006044	upcbidd@gmail.com
51				Asstt. General Manager	Shri Harsh Gupta	9450002055	upcbidd@gmail.com
52	UPSGVB	Managing Director	Yes	No Participation			
53	Axis Bank	Circle Head	No	Dy. Head BBPAG	Shri Sudhir Kumar Srivastava	9839749333	srivastava.sudhir@axisbank.com
54				Senior Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
55	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Dy. V.P. & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraag.gupta@hdfcban.com
56	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Associate Vice President	Shri Amar Singh	7055101598	lucknow@nainitalbank.co.in
57	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Omkar Nath	9450162814	onkar.nath@idbi.co.in
58	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	No	State SLBC Head	Shri Aftab A Khan	8756888141	aftab.alam@icicibank.com
59	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Sr. Branch Manager	Shri Mukesh Kumar	9839222575	lucknow@ktkbank.com
60	Federal Bank	State Head	no	Manager	Shri Surya Pratap Singh	8439099770	lkwa@federalbank.co.in
61	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Anand Kuriakose	9656823116	anand@sib.co.in
62	Govt. of U.P.	Principal Secretary, KVIB	Yes	Principal Secretary	Shri Navneet Sehgal, IAS		
63	Institutional Finance	Principal Secretary	No	Special Secretary	Shri Amrit Tripathi, IAS		
64	Agriculture	Principal Secretary	No	Special Secretary	Shri Pawan Kumar, IAS	9412290079	sindhsdm@gmail.com
65	Animal Husbandry	Principal Secretary	No	Special Secretary	Shri Daya Shankar Singh	9454412242	
66	PCDF Dairy	General Manager	Yes	General Manager	Dr. Mohan Swaroop	7705008435	
67	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Arup Kumar	9870508754	arupkumar@sidbi.in
68	Deptt. of Handlooms & Textiles and	Principal Secretary, GoUP	No	Asstt. Director	Shri S K Pandey	9305005406	skpandey66@dcmsm.gov.in
69	MSME, GoUP			Suprintendent	Shri V D Srivastav	9453441294	
70	Planning Department	Principal Secretary	No	Research Officer	Shri Shishir Srivastava	9454468934	
71	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	Addl. Land Reform Commissioner	Shri Jwala Prasad Tiwari	9415163857	
72				Samicha Adhikari	Shri Ram Narain	9454405331	
73	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri Sarveshwar Shukla	9415054007	diup123@rediffmail.com
74	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	No	Dy. Secretary	Shri Rajendra Singh Maurya	9454413468	
75				Research Officer	Dr. Raghuvendra	9415654000	
76	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	General Manager	Shri R P Singh	9415255269	md.hq.upsfdc@gmail.com
77				Dy. General Manager	Shri Vinod Tiwari	7521050505	md.hq.upsfdc@gmail.com
78	Directorate of Agriculture	Director	No	Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristat@gmail.com
79	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	State Director	Shri R S Pandey	9454364925	kvic.lko2011@gmail.com
80				Asstt. Director	Shri Ramanuj Prasad	9451949121	kvic.lko2011@gmail.com
81				Asstt. Director - II	Shri Ashutosh Kumar Singh	9415463417	
82	National Horticulture Board	Director	No	Senior Horticulture Officer	Shri Ashwani Kumar Mishra	9822703510	akmishranhb@gmail.com
83	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	Yes	Chief Executive Officer	Shri Avinash Krishna Singh		
84				Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	7408410716	
85	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Managing Director	No	Senior Manager (Credit)	Shri Subhash Chandra Shukla	8726449478	scshukla2610@gmail.com
86				Executive Credit	Shri Anil Singh Chandel	9450095722	credit-up6521@gmail.com
87	Police Headquarter	Director General	No	Inspector PRO ADG Crime	Shri Pankaj Misra	9454405254	igcrime-up@nic.in
88	National Housing Bank	Regional Manager/DGM	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri Vishal Goyal	(0)9717691285	vishal.goyal@nhb.org.in
89	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director (IR&GR)	Shri Ramendra Kushwaha	8765757197	ramendrakushwaha89@gmail.com
90	HUDCO	General Manager	Yes	General Manager	Shri Rahul Ji Srivastava	8004923416	rahulji.srivastava@gmail.com
91				Jt. General Manager	Shri R K Srivastava	9450932215	hudcolucknow@gmail.com
92	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri M. Minhajuddin	9450390877	mcspc.minhajuddin@gmail.com
93	LIC of India	Regional Manager	No	Senior Branch Manager	Shri Harjeet Singh Sachdeva	9411451641	hs.sachdeva@licindia.com
94	United India Insurance Co. Ltd	State Head	No	Asstt. Manager	Shri R K Pandey	9415668457	pandey.ramakant@uiic.co.in
95	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Asstt. Manager	Shri Chandra Sekhar Chaturvedi	8415426329	cs.chaturvedi@orientalinsurance.co.in
96	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	No	Administrative Officer	Shri Ayush Singh	9807939108	ayushs@aicofindia.com
97	EPFO	Commissioner	Yes	Regional PF Commissioner	Shri Salbh Dubey	7007246116	bro.lucknow@epfindia.gov.in
				Special Invities			
98	Yes Bank	State Head	No	EVP - Regional Head Operations	Shri Ankur Bansal	9792081777	ankur.bansal2@yesbank.in
99	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	Asstt. Director	Dr. S S Sharma	9044320022	sssharma.dco@nic.in
100	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Asstt. Director General	Shri Nitesh Sinha		nitish.sinha@uidai.net.in
101	UIDAI	Asstt. Director General		Asstt. Director General	Shri Vivek Kumar Daksh	9415331333	vivek.daksh@uidai.net.in
102				Dy. Director	Shri Sunil Kumar Pandey	8005499585	sunil.pandey@uidai.net.in
103	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Dy. Director	Dr. G. C. Pandey	9415580155	girish.pandey1960@gmail.com
104				Jt. Director (Poultry)	Dr. V K Sachan	9415283894	uppoultrypolicy2013@yahoo.com

105	Govt. of UP	NIC		Technical Director	Shri R K gangal	9412733668	
106	Bank of Baroda			Dy. Gen. Manager	Shri A K Singh	0522-6677704	
107				Dy. Gen. Manager	Shri Pankaj Srivastava	7880972333	pankaj_bob@rediffmail
108				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
109				Senior Manager	Shri B K Gupta	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
110				Manager	Shri Shailendra Kr. Sharma	0522-6677717	
111				Officer	Shri Rakesh Kumar Srivastava	0522-6677725	
112				Officer	Smt. Sheetal	0522-6677694	
113				Officer	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
114				Business Associates	Shri Arun Agarwal	0522-6677725	
115				Business Associates	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726